



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042022-235134
CG-DL-E-13042022-235134

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1734]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2022/चैत्र 23, 1944

No. 1734]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2022/CHAITRA 23, 1944

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2022

का.आ. 1821(अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 16 की उपधारा (1) और उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, युनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) योजना, 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्—

- (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम युनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) संशोधन योजना, 2022 है।
 - (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- युनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) योजना, 1973 में—
 - (i) पैरा 10 में “पाँच हजार करोड़ जो पाँच सौ करोड़ में विभाजित है” शब्दों के स्थान पर “सात हजार पाँच सौ करोड़ जो सात सौ पचास करोड़ में विभाजित है” शब्द रखे जाएंगे;
 - (ii) दूसरी अनुसूची में

- (क) भाग 1 के पैरा 2 में “पाँच हजार करोड़ जो पाँच सौ करोड़ में विभाजित है” शब्दों के स्थान पर “सात हजार पाँच सौ करोड़ जो सात सौ पचास करोड़ में विभाजित है” शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) भाग 2 के पैरा 1 में “पाँच हजार करोड़ जो पाँच सौ करोड़ में विभाजित होगी” शब्दों के स्थान पर “सात हजार पाँच सौ करोड़ जो सात सौ पचास करोड़ में विभाजित है” शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 14013/12/2020-बीमा-II]

अमित अग्रवाल, अपर सचिव

टिप्पण: मूल योजना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 804 (अ) तारीख 31 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 731 (अ), तारीख 12 अक्टूबर, 1982, का.आ. 927(अ), तारीख 16 अक्तूबर, 2000 और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2579 (अ), तारीख 31 जुलाई, 2020 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2022

S.O. 1821(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (6) of section 16 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the United India Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the United India Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Amendment Scheme, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the United India Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973,—

- (i) in paragraph 10, for the words “five thousand crore divided into five hundred crore”, the words “seven thousand five hundred crore divided into seven hundred fifty crore” shall be substituted;
- (ii) in the Second Schedule, —
 - (a) in Part I, in paragraph 2, for the words “five thousand crore divided into five hundred crore”, the words “seven thousand five hundred crore divided into seven hundred fifty crore” shall be substituted;
 - (b) in Part II, in paragraph 1, for the words “five thousand crore divided into five hundred crore”, the words “seven thousand five hundred crore divided into seven hundred fifty crore” shall be substituted.

[F. No.14013/12/2020-Ins II]

AMIT AGRAWAL, Addl. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 804(E), dated the 31st December, 1973, and subsequently amended vide notification numbers S. O. 731(E), dated the 12th October, 1982, S.O.927(E), dated the 16th October, 2000 and last amended vide notification number S.O.2579 (E), dated the 31st July, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2022

का.आ. 1822(अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 16 की उपधारा (1) और उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) योजना, 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्-

1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) संशोधन योजना, 2022 है।
(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
2. नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) योजना, 1973 में-
 - (i) पैरा 10 में “सात हजार पाँच सौ करोड़ जो सात सौ पचास करोड़ में विभाजित है” शब्दों के स्थान पर “पंद्रह हजार करोड़ रुपए जो प्रत्येक दस रुपए के पंद्रह सौ करोड़ रुपए में विभाजित है” शब्द रखे जाएंगे;
 - (ii) दूसरी अनुसूची में
 - (क) भाग 1 के पैरा 2 में “सात हजार पाँच सौ करोड़ जो सात सौ पचास करोड़ में विभाजित है” शब्दों के स्थान पर “पंद्रह हजार करोड़ रुपए जो पंद्रह सौ करोड़ में विभाजित है” शब्द रखे जाएंगे;
 - (ख) भाग 2 के पैरा 3 में “सात हजार पाँच सौ करोड़ जो सात सौ पचास करोड़ में विभाजित होगी” शब्दों के स्थान पर “पंद्रह हजार करोड़ जो पंद्रह सौ करोड़ में विभाजित होगी” शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 14013/12/2020-बीमा- II]

अमित अग्रवाल, अपर सचिव

टिप्पण: मूल योजना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ.806(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित की गई थी और इसमें अधिसूचना संख्यांक का.आ. 733(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 1982, का.आ.929(अ), तारीख 16 अक्तूबर, 2000 और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1124 (अ) तारीख 18 मार्च, 2020 द्वारा अतिरिक्त संशोधन किया गया और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2580(अ) तारीख 31 जुलाई, 2020 द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2022

S.O. 1822(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (6) of section 16 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the National Insurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the National Insurance Company Limited (Merger) Amendment Scheme, 2022.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the National Insurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973,—
 - (i) in paragraph 10, for the words, “seven thousand five hundred crore divided into seven hundred fifty crore”, the words “fifteen thousand crore divided into fifteen hundred crore” shall be substituted;
 - (ii) in the Second Schedule,—

- (a) in Part I, in paragraph 2, for the words “seven thousand five hundred crore divided into seven hundred fifty crore”, the words “fifteen thousand crore divided into fifteen hundred crore” shall be substituted;
- (b) in Part II, in paragraph 3, for the words “seven thousand five hundred crore divided into seven hundred fifty crore”, the words “fifteen thousand crore divided into fifteen hundred crore” shall be substituted.

[F. No.14013/12/2020-Ins II]

AMIT AGRAWAL, Addl. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 806(E), dated the 31st December, 1973, and subsequently amended vide notification numbers S. O. 733 (E), dated the 12th October, 1982, S.O.929(E), dated the 16th October, 2000, S.O.1124(E), dated the 18th March, 2020 and last amended vide notification number S.O.2580 (E), dated the 31st July, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2022

का.आ. 1823(अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 16 की उपधारा (1) और उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) योजना, 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्-

1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) संशोधन योजना, 2022 है।
- (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) योजना, 1973 में-
 - (i) पैरा 11 में “पाँच हजार करोड़ जो पाँच सौ करोड़ में विभाजित है” शब्दों के स्थान पर “सात हजार पाँच सौ करोड़ जो सात सौ पचास करोड़ में विभाजित है” शब्द रखे जाएंगे;
 - (ii) दूसरी अनुसूची में
 - (क) भाग 1 के पैरा 3 में “पाँच हजार करोड़ जो पाँच सौ करोड़ में विभाजित है” शब्दों के स्थान पर “सात हजार पाँच सौ करोड़ जो सात सौ पचास करोड़ में विभाजित है” शब्द रखे जाएंगे;
 - (ख) भाग 2 के पैरा 1 में “पाँच हजार करोड़ रुपए जो पाँच सौ करोड़ में विभाजित है” शब्दों के स्थान पर “सात हजार पाँच सौ करोड़ जो सात सौ पचास करोड़ में विभाजित है” शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 14013/12/2020-बीमा- II]

अमित अग्रवाल, अपर सचिव

टिप्पण: मूल योजना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ.805(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित की गई थी और इसमें अधिसूचना संख्या का.आ. 732 (अ), तारीख 12 अक्टूबर, 1982, का.आ. 928(अ), तारीख 16 अक्टूबर, 2000 और का.आ. 1125 (अ), तारीख 18 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2581 (अ), तारीख 31 जुलाई, 2020 द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2022

S.O. 1823(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (6) of section 16 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Oriental Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Oriental Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Amendment Scheme, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Oriental Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Scheme, 1973, —

(i) in paragraph 11, for the words “five thousand crore divided into five hundred crore”, the words “seven thousand five hundred crore divided into seven hundred fifty crore” shall be substituted;

(ii) in the Second Schedule,—

(a) in Part I, in paragraph 3, for the words “five thousand crore divided into five hundred crore”, the words “seven thousand five hundred crore divided into seven hundred fifty crore” shall be substituted;

(b) in Part II, in paragraph 1, for the words “five thousand crore divided into five hundred crore”, the words “seven thousand five hundred crore divided into seven hundred fifty crore” shall be substituted.

[F. No.14013/12/2020-Ins II]

AMIT AGRAWAL, Addl. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 805(E), dated the 31st December, 1973, and subsequently amended vide notification numbers S.O. 732(E), dated the 12th October, 1982, S.O. 928(E), dated the 16th October 2000, S. O. 1125(E), dated 18th March, 2020 and last amended vide notification number S.O. 2581 (E), dated the 31st July, 2020.